

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा..... मुकाम..... भादरा.....

..... रामप्रताप..... बनाम..... भागुराम आदि.....

किस्म मुकदमा..... 88-188 RT Act..... नं०..... 155/09.07.18..... सन्..... 2018.....

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ |
|----------------------------------|---|--|
| 09-07-18 | <p>आज यह प्रकरण जरिये वकील वादी की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.08.2018 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>25⁸/₁₈ पत्रावली पेश हुई दिनांक 29.08.18 को। कारण के अनुसार मुकदमा सं. 88-188 RT Act पेश किया जाकर सिंगल डिमा पत्रावली पेश हुई दिनांक 29.08.18 को।</p> | |
| 3-10-18 | <p>वकील वादी/प्रतिवादी/प्राथी/अप्राथी उप. पत्रावली मत आदेशानुसार वास्ते 25.10.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> | |
| 25-10-18 | <p>वकील वादी/प्रतिवादी/प्राथी/अप्राथी उप. पत्रावली मत आदेशानुसार वास्ते 25.10.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> | |
| 30 ¹¹ / ₁₈ | <p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी सुनीली प्राथी में वास्तु व दिनांक 20.11.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> | |

तारीख हुम

22/8/23

प्रतिवादी प्राचीन प्रार्थना पत्र दिनांक 07/07/23 पर हुम
-पक्षों की सुनने एवं पत्रावली पर अतिरिक्त रिपोर्ट संवोधित
करने पर हम पाते हैं कि विवादित भूराजगीत खसरा
चक्र 1 जमीनार के खाला संख्या 69/68 के पुरखान न.
18 के डिवा न. 13 की 0.013 हेक्टेयर, डिवा न. 8
की 0.025 हेक्टेयर, डिवा न. 5 की 0.025 हेक्टेयर
डिवा न. 4 की 0.013 हेक्टेयर की विराम गैर-मुमकिन
रास्ता है। राष्ट्रिय कानूनकारी अधिनियम की धारा 1355
की धारा 16 के तहत सर्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु धारित
भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रौढभूत नहीं होंगे।
1992 RRD 496 रूपनारायण बनाम राज्य के अनुसार
रास्ता 'सर्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु धारित भूमि'
माना गया है।

अतः वादी का वाद "धारा 16" राष्ट्रिय कानूनकारी
अधिनियम से वाधित है; अतः वाद इसी स्तर पर
खारिज दिया जाता है। पत्रावली नम्बर से डम की
बादर फैसल की जाती है।

निर्णय खुले-आयालय में सुनया गया।

22/8/23

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भागसा जिला-हुनुमानगढ़